भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0–8बी/यू.पी./06/40/2017/एफ.सी./1195 दिनाँक: 27.01.2021 28

सेवा में,

विशेष सचिव(वन),
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Others/13877/2015

विषयः कार्योपरांत स्वीकृति (**Ex. Post facto**) के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–राया मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 26.320 ग्राम बिसावली के खसरा सं0–537 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किए जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक–2612/81–2–2020–800(58)/2016, दिनांक–11.01.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया संज्ञान लें, इस संबंध में मुझे आपको अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी अलीगढ़ के पत्र दिनांक 12.11.2020 द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.09.2020 के परिपेक्ष्य में यह सूचित किया गया है कि प्रभागीय निदेशक सा0वा0प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक 14.12.2015 में उल्लिखित किया गया है कि नोडल अधिकारी, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22.08.2015 द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, उक्त पत्र की प्रतिलिपि कृपया इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। नोडल अधिकारी द्वारा निजी पेट्रोल कंपनियों को संपर्क मार्ग हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है (जैसा कि प्रभागीय निदेशक अलीगढ के पत्र दिनांक 14.12.2015 द्वारा सूचित किया गया है) क्या राज्य सरकार उक्त स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम है? यदि हॉ तो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को क्या स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया है? यहाँ यह स्पष्ट करना है कि FCA Guideline के अनुरूप निजी पेट्रोल कम्पनियों को स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार को कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था। यह वन संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

कृप्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध FCA के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा सहित रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

TC
15
Frnodal
01/02/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रायः देखा जा रहा है कि अलीगढ़ वन प्रभाग से FCA उल्लंघन उपरान्त Ex Post approval हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जो कि कदाचित ठीक नहीं है। कृपया इसकी जॉच कराकर आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, अलीगढ।
5. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सं0–3, नोएडा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

27/01/2021
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1879 /11सी–FP/UP/Others/13877/2015, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 03 , 2021

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ

Lt. ST Page No.929

011